न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 2/2022 (निगरानी)

उनवान

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा, पंचायत समिति सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

(निगराकार)

बनाम

रमेशचन्द्र मीणा आत्मज श्री रामनाथ मीणा निवासी डाबरी कला, तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री सत्यनारायण मेघवाल (अभिभाषक निगराकार)
2. रघुवीर सिंह राठौड (अभिभाषक गैर निगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1994 वास्ते निरस्त किये जाने पट्टा संख्या 7 दिनांक 05.05.2007

निर्णय दिनांक : 18.10.2024

1 निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद के आदेश दिनांक 05.05.2017 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकार की ओर से श्री रघुवीर सिंह राठौड अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस निगरानी में कथन है कि प्रतिवादी ग्राम डाबरी कलां ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा का निवासी है, जो कि पूर्व में वार्डपंच रह चुका है। प्रतिवादी जिस समय वार्डपंच था तो अपने प्रभाव का उपयोग करते हुऐ तथा पद का दुरूपयोग करके तथाकथित कोई पुश्तैनी मकान बताते हुए उसकी आड में एक पट्टा संख्या 7 दिनांक 5.05.2007 को ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा से जारी करवा लिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उक्त

अति. जिला कलक्टर
कोटा

पट्टा प्रतिवादी द्वारा पंचायत के समक्ष नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करते पर तथा समिति की मौका रिपोर्ट पेश करने पर हुई कि प्रतिवादी द्वारा तथ्यों को छिपा कर एवं ग्राम पंचायत को प्रभाव में लेकर गुमराह करते हुऐ मिथ्या तथ्यों के आधार पर जारी करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टा संख्या 7 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) की नियत सीमा 2700 वर्गफीट से अधिक 5165 वर्गफीट का प्रतिवादी द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये जारी करवा लिया है वास्तव में पंचायत को 2700 वर्गफीट से अधिक का पट्टा जारी करने के अधिकार ही नहीं है। बने हुये मकान का ही पट्टा दिया जा सकता है किन्तु प्रतिवादी ने खाली भूखण्ड 19X**44**फुट–836 वर्गफुट को भी अपना बताते हुए उसे भी पट्टे में शामिल करवा लिया और पट्टा जारी करवा लिया जबकि खाली भूखण्ड का विनियमितकरण करके पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। वास्तव में जिस भूमि का पट्टा प्रतिवादी ने पुश्तैनी मकान बता कर जारी करवाया है वास्तव में वह खाली भूमि है तथा उक्त खाली भूमि पूर्व में भी सार्वजनिक उपयोग में आती थी और उसको सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित किया गया है जिसको ग्राम पंचायत के कोरम ने प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 14.10.2021 से पुष्टि की है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का निजी व्यक्ति को पट्टा किसी भी सूरत में जारी नहीं किया जा सकता है इसलिए पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी द्वारा उक्त पट्टा जारी करने की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत की ग्राम संभा में दिनांक 8.11.2021 के प्रस्ताव संख्या –5 के तहत उक्त पट्टे की जांच हेतु एक समिति बनाई गई। जिसने मौका रिपोर्ट भी पेश की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टे वाली भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा विधि अनुसार नहीं होने से विधि विरूद्ध कृत्य को नियमित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त पट्टा प्रारम्भ से ही शुन्य है तथा उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है जो जारी है किन्तु उक्त अवैध पट्टे के आधार पर प्रतिवादी लगातार उक्त सामुदायिक भवन के निर्माण में बाधाये उत्पन्न कर रहा है तथा विवाद उत्पन्न हो रहै है। तथा वाद की बहुलकता उत्पन होगी । ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे को निरस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 05.05.2007 को निरस्त फरमाया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक गैरनिगराकार का बहस में कथन रहा है कि ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद द्वारा राज0 पंचायत राज0 अधि0 1996 के नियम 157 के अनुसार एक आवासीय पट्टा 7 निांक 05.05.2007 को रमेशचन्द्र मीणा पुत्र रामनाथ के पक्ष में जारी किया गया था। वह पुश्तैनी मकान पर जारी किया गया था। पुश्तैनी मकान पर हम दो भाई रहते हैं। जिस पर हम 50 वर्षो से निवासी करते है। किन्तु उक्त पट्टा एक ही भाई के नाम जारी हो गया है इसलिए पट्टे का क्षेत्रफल अधिक हो गया है। यह निगरानी अन्दर मियाद नहीं है। पट्टे को निरस्त करवाने के विरूद्ध वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है श्रवण योग्य नहीं है वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा निरस्त की

अति. जिला कलक्टर
कोटा

कार्यवाही पुनरीक्षण योग्य होती है जिसकी शक्तिया राज0 पंचायत राज0 अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित है। पूरी की पूरी कार्यवाही राजनिति द्वेषता से प्रेरित है। क्योंकि उक्त पट्टा 2007 में जारी किया गया था जिसका निरस्त का प्रस्ताव 2021 से लिया गया। लिमिटेशन का भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

5 वकील गैर निगराकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी प्रस्तुत किया गया जिसमे निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा राज0 पंचायत राज0 अधि0 1996 के नियम 157 के अनुसार एक आवासीय पट्टा संख्या 7 दिनांक 5.05.2007 को प्रतिपक्षी रमेशचन्द्र मीणा पुत्र रामनाथ के पक्ष में जारी किया गया था। उक्त पट्टे को निरस्त करवाने के लिये माननीय न्यायालय में राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियम के नियम 157(2) के अन्तर्गत वादी ने वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त उक्त आवासीय पट्टा है। जिसको निरस्त करवाने के लिय माननीय न्यायालय मे नियम 157 (2) के तहत वाद प्रस्तुत किया है। पट्टे को निरस्त करवाने के विरूद्ध वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है एवं श्रवण योग्य नहीं है वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा निरस्त की कार्यवाही पुनरीक्षण योग्य होती है जिसकी शक्तियों राज0 पंचायत राज0 अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित है। इस आशय का सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एवं राज0 पंचायत राज0 अधि0 में प्रतिपादित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अवधि बाधित होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार फरमाई जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाने की कृपा करे। वकील निगराकार ने प्रा0पत्र 151 सी0पी0सी का जवाब नहीं देकर बहस हेतु निवेदन किया । पंचायत राज0 अधिनियम के अनुसार जिस धारा में अपील होती है। वो जिला कलक्टर व माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। अतः उक्त निगरानी में 151 सी0पी0सी के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस कारण प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहां तक अवधि बाधित होने का प्रश्न है। इसमें विभिन्न समयों पर माननीय न्यायालयों द्वारा गुणावगुण के आधार पर प्रकरण को निश्चित कर, अवधि बाधा समय संबधी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण रखने के संबंध में मत प्रतिप्रादित किये है। प्रकरण संख्या 20/2023 मूल निगरानी में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना है। अतः मूल निगरानी में जो अनुतोष चाहा गया है वह इस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी खारिज किया जाता है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाये है कि ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा द्वारा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 के तहत पुराने गृहो का विनियमितिकरण पट्टा संख्या 7 दिनांक 05.05.2007 को श्री रमेशचन्द्र

अति. जिला कलक्टर
कोटा

मीणा आत्मज श्री रामनाथ मीणा निवासी डाबरी के नाम जारी किया गया जो नियमो के विरूद्ध जारी किया गया है। नियम 157 (1) (ख), राजस्थान पंचायत राज0 अधि0 1996 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत 300 वर्गगज के क्षेत्रफल में ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 5165 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है। अतः न्यायालय निगराकार अभिभाषक के कथन से सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा पंचायत समिति सागोद द्वारा रमेशचन्द्र मीणा आत्मज श्री रामनाथ मीणा निवासी डाबरी को जारी किया गया पट्टा संख्या 7 दिनांक 05.05.2007 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दिल्लीपुरा निर्धारित क्षेत्रफल पर ही नियमानुसार जांच कर पुनः पट्टा जारी करे। क्योकि पंचायती राज0 अधि0 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार 300 वर्गगज (2700वर्गफिट) तक के क्षेत्रफल में 25 ⁄ः निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये विनियमित करने का अधिकार है।

7 निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा